# उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

दिनांक – 5 मई, 2015 को वित्त समिति की आठवीं बैठक कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय सभागार में प्रातः 11:00 बजे सम्पन्न हुई, बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1– प्रो0 सुभाष धूलिया ............ अध्यक्ष
कुलपति एवं अध्यक्ष
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।

2– सुश्री कृष्णा रौंकली ............ सदस्य
वित्त नियंत्रक
(प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त विभाग)

3– डॉ0 ए0के0 जोशी ............ 5/5/15 सदस्य
सहायक ~~संयुक्त~~ निदेशक
(प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा)

4– श्रीमती आभा गर्खाल ............ सचिव
5/5/2015
वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।

विशेष आमंत्रित

1– श्री लक्ष्मण सिंह रावत 05/05/2015
कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।

2– डॉ0 संजय ध्यानी 05/05/2015
उपकुलसचिव, वित्त
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।

ो।

पति एवं अध्यक्ष वित्त न हुई, बैठक में निम्न

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सचिव

बैठक के प्रारम्भ में वित्त समिति के सदस्य सचिव/वित्त नियंत्रक द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया, तथा अध्यक्ष, वित्त समिति/कुलपति जी की अनुमति से विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 8वीं बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मद संख्या–8.01 **वित्त समिति की 7वीं बैठक, दिनांक–10 अप्रैल, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

सचिव वित्त समिति द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की 7वीं बैठक दिनांक–10 अप्रैल, 2014 का कार्यवृत्त समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया एवं प्रेषित कार्यवृत्त पर कोई सुझाव/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुरूप समिति द्वारा सर्वसम्मति से 7वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या–8.02 **वित्त समिति 7वीं बैठक दिनांक–10 अप्रैल 2014 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना।**

सचिव, वित्त समिति द्वारा 7वीं बैठक में विगत बैठक में पारित निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या–8.03 **वित्तीय वर्ष 2014–15 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राप्त राज्य अनुदान के आय–व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रस्तावित आय–व्यय का विवरण एवं अनुमोदन।**

सचिव, वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में आयोजनेत्तर पक्ष में वेतनादि तथा सहायक अनुदान मदों हेतु प्राप्त राज्य अनुदान आय–व्ययक विवरण एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अनुमानित व्यय विवरण (कार्यवृत्त संलग्नक–'क' 'ख' एवं 'ग') समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रपत्रों का अवलोकन करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani

Prof. Subhash Dhuliya
Vice Chancellor

**मद संख्या–8.04** **वित्तीय वर्ष 2014–15 में आयोजनागत पक्ष में प्राप्त राज्य अनुदान के आय–व्यय विवरण का अनुमोदन।**

सचिव, वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में आयोजनागत पक्ष में प्राप्त राज्य अनुदान आय–व्ययक विवरण (कार्यवृत्त संलग्नक–'घ') समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रपत्रों का अवलोकन करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही समिति द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों को सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

**मद संख्या–8.05** **वित्तीय वर्ष 2014–15 में अन्य श्रोतों (शुल्क) से आय–व्यय पर विचार एवं अनुमोदन।**

सचिव, वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में अन्य आय के श्रोतों (शुल्क) आय–व्ययक विवरण (कार्यवृत्त संलग्नक–'च') का समिति द्वारा अवलोकन करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

**मद संख्या–8.06** **वित्तीय वर्ष 2014–15 में दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान एवं आय–व्यय पर विचार एवं अनुमोदन।**

वित्तीय वर्ष 2014–15 में डेब–यू0जी0सी0 आय–व्ययक विवरण (कार्यवृत्त संलग्नक–'छ') समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रपत्रों का अवलोकन करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

समिति द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में डेब–(यू0जी0सी0) मद में अनुदान प्राप्ति की अवधि तक इस हेतु निर्धारित मदों में विश्वविद्यालय अन्य श्रोतों (शुल्क) से व्यय की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि डेब–(यू0जी0सी0) मद में अनुदान प्राप्ति उपरान्त सम्बन्धित व्ययों को समायोजित कर लिया जाये।

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani

Prof. Subhash Dhuliya
Vice Chancellor

**मद संख्या–8.07** **भवन निर्माण समिति की 8वीं बैठक दिनांक–27/04/2015 के कार्यवृत्त पर विचार एवं अनुमोदन।**

समिति द्वारा भवन निर्माण समिति की 8वीं बैठक दिनांक–27/04/2015 के कार्यवृत्त का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। भवन निर्माण समिति के कार्यवृत्त प्रस्ताव संख्या–8.05 एवं 8.06 पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा वाहन पार्किंग शेड एवं सर्वर/पावर रूम निर्माण प्रस्तावों को विश्वविद्यालय अन्य आय के श्रोतो (शुल्क) से वहन करने की अनुमति प्रदान की गयी।

**मद संख्या–8.08** **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो के पत्र दिनांक–17/10/2014 के अनुपालन में विश्वविद्यालय Corpus Fund सृजित किये जाने के सन्दर्भ में विचार एवं अनुमोदन।**

सचिव वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र दिनांक– 17/10/2014 के क्रम में विश्वविद्यालय **Corpus Fund** गठन एवं तत्सम्बन्धी निती निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक–10/10/2014 के कार्यवृत्त को समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा उक्त कार्यवृत्त पर सहमति व्यक्त करते हुए संस्तुति अनुरूप विश्वविद्यालय **Corpus Fund** गठन पर अनुमोदन प्रदान किया गया। समिति द्वारा **Corpus Fund** निधियों से व्यय के सम्बन्ध में मदवार बजट निर्धारण करते हुए प्रस्तावित मदवार व्यय विवरण को आगामी वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाने के निर्देश दिये गये।

**मद संख्या–8.09** **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र दिनांक–01/01/2015 पर विचार एवं अनुमोदन।**

समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र दिनांक–01/01/2015, जिसके द्वारा विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक मानदेय दरों का निर्धारण किया गया है का अवलोकन

Finance Controller
University
Lucknow

Prof. Subhash Dhuliya
Vice Chancellor

किया गया। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त पत्र में काउंसिलिग हेतु निर्धारित दरों को स्वीकार करते हुए अन्य निर्धारित दरों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रचलित दरों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दरों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए एक RATIONALIZED समेकित दर प्रपत्र तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये। तद्नुसार RATIONALIZED समेकित दर प्रपत्र अनुमोदित होने की अवधि तक विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था/दरों को जारी रखने पर सहमति प्रदान की गई।

**मद संख्या–8.10 विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की 7वीं बैठक दिनांक–14/03/2015 को पारित वित्तीय उपाशय विषयक मदों पर विचार।**

समिति द्वारा परीक्षा समिति की सातवीं बैठक दिनांक–14/03/2015 के कार्यवृत्त का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा कार्यवृत्त की उक्त संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त सम्बन्धित वित्तीय उपाशय निहित दरों हेतु अन्य शासकीय मुक्त विश्वविद्यालयों तथा निकटस्थ राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित मदों में लागू दरें प्राप्त कर समेकित विवरण प्रपत्र आगामी वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तद्नुसार समेकित दर प्रपत्र अनुमोदित होने की अवधि तक विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था/दरों को जारी रखने पर सहमति प्रदान की गई।

**मद संख्या–8.11 कुलपति के लिए नये वाहन (इनोवा टोयोटा) क्रय किये जाने के अनुमति के सन्दर्भ में विचारार्थ।**

समिति द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–65/ix-1/2013/215/2011 दिनांक–17/01/2013 द्वारा निर्धारित नीति अनुरूप कुलपति जी के उपयोगार्थ रू0 12 लाख की अधिकतम वाहन क्रय मूल्य सीमा अर्न्तगत नवीन वाहन क्रय किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

Controller
University

Prof. Subhash Dhuliya
Vice Chancellor

**मद संख्या–8.12** **योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग को डिप्लोमा तथा परास्नातक विद्यार्थियों के कार्यशाला शुल्क में वृद्धि की अनुमति पर विचार एवं अनुमोदन।**

समिति द्वारा प्रस्तावित शुल्क वृद्धि से विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ बढ़ने के दृष्टिगत शुल्क वृद्धि प्रस्ताव के औचित्य को स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों कार्यशाला, प्रोजेक्ट वर्क, प्रयोगात्मक कार्य आदि पाठ्यक्रम का भाग है जिन हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों में अलग–अलग शुल्क प्रचलित हैं, जिनमें एकरूपता लाये जाने तथा RATIONALIZATION के दृष्टिगत पृथक से समिति गठित है। वित्त समिति द्वारा उक्त समिति की संस्तुतियों को आगामी वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

**मद संख्या–8.13** **विश्वविद्यालय के समस्त विभागों के शैक्षणिक गतिविधियों से की गयी यात्राओं पर होटल व्यय हेतु रू0 700/– दिये जाने पर विचार एवं अनुमोदन।**

समिति द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं निष्पादित कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्ताव अनुरूप कुलपति जी के स्वविवेकानुसार विश्वविद्यालय कार्मिकों को विभागीय यात्रा के दौरान आवास एवं भोजन की व्यवस्था हेतु होटल व्यय रू0 700/–की सीमा तक भुगतान किये जाने हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि इसके अतिरिक्त दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

**मद संख्या–8.14** **विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् दिनांक–18 जुलाई, 2014 के प्रस्ताव संख्या–03 पर लिये गये निर्णय, वित्त समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।**

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गई।

स्वअध्ययन केन्द्रों में विद्यार्थियों के उपयोगार्थ आई0टी0 के माध्यम से लेक्चर प्रसारण योग्य सुसज्जित कक्षाकक्ष विश्वविद्यालय की स्वयं की आय से स्थापित किये जाने प्रस्तावित है। समिति द्वारा प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में सचिव वित्त समिति द्वारा समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का समापन किया गया।

8/5/2015
Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani

Prof. Subhash Dhuliya
Vice Chancellor

**मद संख्या–8.15** **वाहन चालक श्री मोहन चन्द्र पाण्डे को विशेष मानदेय की दर में वृद्धि किये जाने पर विचार।**

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विशेष मानदेय में वृद्धि को अस्वीकार करते हुए पूर्व स्वीकृत विशेष मानदेय रू0 500/– प्रतिमाह को यथावत रखे जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

**<u>अन्य बिन्दु–</u>**

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समिति के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गई –

1. विश्वविद्यालय में सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्त कार्मिकों को वित्त समिति की पिछली बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुरूप शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुमन्य/देय वेतन, ग्रेड वेतन, महंगाई भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों के योग के समतुल्य धनराशि प्रतिमास भुगतान किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण को पुनः शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये एवं प्रकरण के निदान हेतु विश्वविद्यालय अधिकारियों को शासन स्तर पर व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क हेतु निर्देशित किया गया।
2. अध्यक्ष महोदय/कुलपति जी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को संग्रहालय निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पूर्व प्रेषित है। इस हेतु आवश्यक भूमि विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध भूमि में से उपलब्ध करवायी जा सकती है।
3. अध्यक्ष महोदय/कुलपति जी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तथा अधिकाधिक सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने के दृष्टिकोण से राज्य के चिन्हित राजकीय महाविद्यालयों/अन्य स्थलों पर स्वअध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने है। इन

Finance Controller
University